

1299
9/11/89

कार्यालय क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त,
निधि भवन, विद्युत मार्ग, ज्योति नगर,
जयपुर-302005 {राजस्थान}

पंजीकृत.

क्रमांक: आरजे/4820/आवृत्ति/प्रव. तोन/ 3746

दिनांक: 6/1/89

मै० उरमूल ग्रामीण स्वास्थ्य शोध एवं विकास न्यास,
पो. बा. नं० 55,
बोकानेर- 334001.

विषय: कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952
लागू होने के क्रम में. ---

महोदय,


प्रवर्तन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन एवं इस कार्यालय में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर यह पाया गया है कि आपको संस्था उद्देश्य कार्यप्लान नियन्त्रण एवं कार्मिक समानता/निर्भरता को दृष्टि से पूर्व में ही उक्त अधिनियम के तहत कूट संख्या आरजे/2389 के अन्तर्गत आवृत्त संस्थान मै० उत्तरी राजस्थान सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि० {उरमूल} बोकानेर को हो इकाई है.

अतः आपको इकाई पर कार्य प्रारम्भ तिथि से ही उक्त अधिनियम लागू होता है, तदैव आपको प्रशासनिक सुविधाओं को ध्यान में रख पृथक से कूट संख्या आरजे/4820 आवंटित की जाती है एवं आपको राय दी जाती है कि इस कूट संख्या के तहत फरवरी, 86 से अनुपालना कर सूचित करें.

उचित निदेश इत्यादि संलग्न है.

संलग्न: उपरोक्तानुसार.

भवदीय,


{ एन. सी. जैन }
सहायक आयुक्त
क्षेत्रीय आयुक्त.